कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
गैरसैंण

Phone N0/ Fax No: 01363.278533 Mail: eecdgairsain@rediffmail.com

पत्रांक 899 / 1 स्व०स० दिनांक 27 / 07 / 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय— **जनपद चमोली में पजियाणा—धण्डियाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.988 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No FP/UK/ROAD/9612/2015)**

सन्दर्भः— **उप महानिरीक्षक, वन (के0) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक 8 बी./यू.सी.पी./06/38/2016/एफ.सी./1017 दिनांक 16.11.2021**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र में भारत सरकार द्वारा 3 बिन्दूओं पर जानकारी चाही गई थी जिनका प्रतिउत्तर भारत सरकार तक न पहुॅचने के कारण मार्ग पर विधिवत स्वीकृति प्राप्त नही हो पा रही है। (पत्र की छायाप्रति संलग्न) (संलग्नक—1)भारत सरकार के देहरादून कार्यालय से सम्पर्क करने पर ज्ञात हुआ है कि बिना उपरोक्त पत्र का प्रतिउत्तर प्रेषित किये मार्ग पर विधिवत स्वीकृति प्रदान नही की जा सकती है, जिसके क्रम में उक्त तीन बिन्दूओं का प्रतिउत्तर निम्नानुसार प्रेषित है।

बिन्दु संख्या	विवरण	प्रतिउत्तर
1.	प्रस्ताव आनलाईन इस कार्यालय में प्रेषित नही हुआ है, अतः राज्य सरकार इसे आनलाईन प्रेषित करना सुनिश्चित करें।	मार्ग का वन भूमि प्रस्ताव ऑनलाइन कर इस कार्यालय से प्रेषित किया जा चुका है।

2.	राज्य सरकार इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 17.01.2019 का उत्तर प्रेषित करने का कष्ट करें। (उल्लेखित पत्र में 3 बिन्दूओं का प्रतिउत्तर दिया जाना है जो निम्नवत् है तथा पत्र की छायाप्रति संलग्न है । संलग्नक–2)	
	1. राज्य सरकार 1007248/–रुपये की संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना (CA Scheme) की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करेंगी।	1. संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण रु0 1007248.00 की संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना जो प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ प्रभाग से प्राप्त है संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–3)
	2. राज्य सरकार शर्त संख्या 03 एवं 05 के जवाब में वचनाबद्धता (Undertaking) की मूल हार्ड प्रति सक्षम अधिकारी (signing authority) के पूर्ण विवरण सहित इस कार्यालय में प्रेषित करें।	2. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–3 एवं 5 के प्रतिउत्तर (Undertaking) मूल हार्ड कापी संलग्न कर प्रेषित है (संलग्नक–4 व 5)
	3. इसके अतिरिक्त राज्य सरकार N,P.V Calculation sheet की एक मूल प्रति जिसके आधार पर कैम्पा कोष में धनराशि जमा की गई, प्रेषित करने का कष्ट करें तथा इसे ऑनलाईन बैब पॉर्टल पर भी अपलोड करेंगी।	3. N,P.V Calculation की शीट संलग्नक–2 के अनुसार है तथा Campa कोष में जमा की गई धनराशि की छायाप्रति संलग्न है (संलग्नक–6) तथा Campa कोष में जमा की गई धनराशि Portal पर भी Upload की गई है।
3.	राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के पैरा 2.4(i) के अनुसार, विधिवत् स्वीकृति से पूर्व भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत् क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल और सोयम भूमि) को आरक्षित	क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल और सोयम भूमि) को आरक्षित वन /संरक्षित वन के रुप में अधिसूचित करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 896/1LA दिनांक 27.07.2024 द्वारा आपके कार्यालय को पत्र प्रेषित किया गया है। (छायाप्रति

	वन/संरक्षित वन के रुप में कृपया अधिसूचित करना सुनिश्चित करें।	संलग्न संलग्नक–7) कृपया उपरोक्तानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र को आरक्षित/संरक्षित वन के रुप में अधिसूचित करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करे।

अतः निवेदन है भारत सरकार से मांगी गई जानकारी को उपरोक्तानुसार अपनी ओर से उच्च स्तर/भारत सरकार को प्रेषित करने की कृपा करेंगे ताकि मार्ग में वन भूमि हस्तान्तरण हेतु विधिवत स्वीकृति प्राप्त हो सकें।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार संलग्नक 1 से 7 तक।

27/7/24

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
गैरसैंण, चमोली।

96

संलग्नक – 1

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/38/2016/एफ.सी./1017 दिनांक: /11/2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद – चमोली के अर्न्तगत पंजीयाणा–धण्डियाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.988 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No **FP/UK/ROAD/9612/2015)**

सन्दर्भः–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – **1028/FP/UK/ROAD/9612/2015 दिनांक 21-10-2021**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 17.01.2019 द्वारा प्रस्ताव में 3 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई थी। परन्तु राज्य सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र दिनांक 14.03.2017 की अनुपालन आख्या प्रस्तुत कर दी गई है। अतः आपसे अनुरोध है कि निम्नाँकित बिन्दुओं पर अभिलेख/दस्तावेज़ इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें :–

1. प्रस्ताव आनलाईन इस कार्यालय में प्रेषित नहीं हुआ है, अतः राज्य सरकार इसे आनलाईन प्रेषित करना सुनिशिचत करें।
2. राज्य सरकार इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 17.01.2019 का उत्तर प्रेषित करने का कष्ट करें।
3. राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के पैरा 2.4 (i) के अनुसार, विधिवत् स्वीकृति से पूर्व भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत् क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल और सोयाम भूमि) को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में कृपया अधिसूचित करना सुनिश्चित करें।

DFO Sir,

भवदीय,

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

संलग्नक-2 (12)

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/38/2015/एफ.सी./[illegible] दिनांक [illegible]/01.2019

सेवा में,
मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः **चमोली के अर्न्तगत पंजीयाणा–धण्डियाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.988 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

संदर्भः **मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड का पत्रांक– 1445/FP/UK/ROAD/9612/2015 दिनांक** 01.12.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें। ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:–

1. राज्य सरकार 10,07,248/– रूपये की संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना (CA scheme) की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करेगी
2. राज्य सरकार शर्त संख्या 03 एवं 05 के जवाब में वचनबद्धता (undertakings) की मूल हार्ड प्रति सक्षम अधिकारी (signing authority) के पूर्ण विवरण सहित इस कार्यालय में प्रेषित करें।
3. इसके अतिरिक्त राज्य सरकार NPV calculation sheet की एक मूल प्रति जिसके आधार पर कैम्पा कोष में धनराशि जमा की गई है, प्रेषित करने का कष्ट करें तथा इसे ऑनलाईन वैब पॉर्टल पर भी अपलोड करेगी।

भवदीया,

O/c

(कमल प्रीत)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

O/c

(कमल प्रीत)
वन संरक्षक

131/ILA
3-5-17

कार्यालय उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।
Office of Deputy Conservator of Forest, Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.

पत्रॉकः– 4233 /2-1 गोपेश्वर, दिनांक 22 अप्रैल 2017

संलग्नक – 3

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
गैरसैंण।

विषयः– जनपद चमोली के अन्तार्गत पजियाणा– घण्डियाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.988 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपरोक्त विषय के कम में अवगत करना है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 की धनराशि निम्नॉनुसार जमा की जानी है:–

क0स0	नाम जिसमें धनराशि जमा की जानी है।	क्षेत्रफल	दर प्रति है0/किमी0	कुल धनराशि
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	1.988 X 2 = 3.976 है0	2,53,332.00 प्रति है0	10,07,248,032 या 10,07,248.00
2	एन0पी0वी0	1.988 है0	8,45,000,.00 प्रति है0	16,79,860.00

उक्त के अतिरिक्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो का अनुपालन करते हुए आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(नीतू लक्ष्मी एम0)
उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

प्रारुप—51

परियोजना का नामः—जनपद चमोली में गैरसैण—पजियाणा धण्डियाल मोटर मार्ग का विस्तार हेतु 1.988 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।

अमीन लो0नि0वि0 गैरसैंण	कनिष्ठ अभियन्ता लो0नि0वि0 गैरसैंण	सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0 गैरसैण	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0, ~~कर्णप्रयाग~~ गैरसैंण

“Central Verge का प्रमाण–पत्र”

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात सड़क के दोनों किनारों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के देख–रेख में वृक्षारोपण किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता, निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0 गैरसैंण।	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0 गैरसैंण।	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0, गैरसैंण।

संलग्नक - 6

SBIN21723103 4338

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date 10-05-2017

Agency Name.	PWD CD GAIRSAIN
Application No.	ROAD96122015261
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction Division PWD GairsainChamoli
Amount(in Rs)	2687108/-

Amount in Words : Twenty-Six Lakh Eighty-Seven Thousand One Hundred and Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	15089ROAD96122015261
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore 21/1, 3rd floor Jellita Towers Mission Road Bangalore -560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies ma
Email: helpdeskcampa@corpbank.co in

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि
गैरसैण (चमोली)

19 AUG 2017

Akhilesh Kumar

प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/9612/2015 जनपद चमोली के अन्तर्गत पज्याणा घण्डियाल मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.988 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के लिए वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त ग्राम–घण्डियाल खालसा प0गृ0–पज्याणा, तहसील –गैरसैंण की सीमान्तर्गत चिन्हित ख0खा0सं0–30 के खसरा सं0– 05 रकबा 2.016 है0 भूमि मध्ये 1.300 है0 भूमि, खसरा संख्या–06 रकबा 2.25 है0 भूमि मध्ये 1.300 है0 एवं खसरा संख्या–07 रकबा 2.024 है0 भूमि मध्ये 1.376 है0 अर्थात 3.976 है0 सिविल सोयम भूमि का राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी चमोली के पत्रांक 4868/छब्बीस–24(2016–2017) गोपेश्वर दिनांक 28 जुलाई 2017 से हस्तान्तरित/आवंटित कर वन विभाग के पक्ष में अमलदरामद करा दी गई है। उक्त भूमि का खसरा खतौनी में स्वामित्व वन विभाग के नाम पर दर्ज करा दी गई है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इसका कब्जा वन विभाग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। अधिसूचना संख्या 869–एफ/638 दिनांक 17–10–1893 के अनुसार यह भूमि रक्षित वन घोपित है। इसे पुनः रक्षित/आरक्षित वन घोपित किये जाने की आवश्कता नहीं है।

मुख्य वन संरक्षक/ निदेशक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व,
गोपेश्वर।

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
गोपेश्वर।

कार्यालय निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

Email dirndbr-forest-uk@nic.in Off. Ph.&fax 01372252497

पत्रांक– 598 /12-1 , गोपेश्वर 05/09/022 दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर प्रमुख वन संरक्षक /क्षेत्रीय अधिकारी,(उत्तर मध्य क्षेत्र) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार 25, सुभाष रोड देहरादून।
2–प्रमुख सचिव/ सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3–प्रमुख वन संरक्षक(HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
5–मुख्य वन संरक्षक गढवाल उत्तराखण्ड।
6–जिलाधिकारी, चमोली।
7–गार्ड बुक।

मुख्य वन संरक्षक/ निदेशक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व,
गोपेश्वर।

संलग्नक - 7

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
गैरसैंण

Phone N0/ Fax No: 01363.278533 Mail: eecdgairsain@rediffmail.com

पत्रांक 896 / 11A दिनांक 27 / 07 / 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय– जनपद चमोली में पजियाणा–घण्डियाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.988 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **(Online Proposal No FP/UK/ROAD/9612/2015)**

सन्दर्भः– उप महानिरीक्षक, वन (के0) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक 8 बी./यू.सी.पी./06/38/2016/एफ. सी./1017 दिनांक 16.11.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार पर्यायवरण मंत्रालय द्वारा उल्लेखित मोटर मार्ग में विधिवत स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल सोयम भूमि) को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रुप में अधिसूचित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः निवेदन है कि उक्त मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र को आरक्षित/संरक्षित वन के रुप में अधिसूचित करने की कृपा करें, ताकि मार्ग पर वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत स्वीकृति प्राप्त हो सकें। (भारत सरकार के पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है)।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

27/07/24

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैंण, चमोली।

D.F.A

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गैरसैंण

Phone No/ Fax No: 01363.278533

Mail: eecdgairsain@rediffmail.com

पत्रांक 1255/1एल.ए.

दिनांक 14/09/2021.

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषयः— जनपद चमोली में विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत पंजीयाणा — घण्डियाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.988 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः— भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या 08 बी0/यू0सी0पी0/06/38/2016/एफ0सी0/2080, दिनांक 14/03/2017.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि इस खण्ड के अन्तर्गत उक्त मार्ग पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी, सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित 8 शर्तो की अनुपालन आख्या बिन्दुवार प्रेषित की जा रही है—

1 शर्त संख्या 01 के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल के प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 10,07,248.00 मात्र वन विभाग के पक्ष में NEFT/ RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA, APPLICATION NO. ROAD 96122015261 Date 19/08/2017 द्वारा धनराशि जमा कर दी गयी, **भुगतान चालान की प्रति संलग्न है।** तथा जिलाधिकारी, चमोली के आदेश सं0 4868/छब्बीस—24 (2016—17) गोपेश्वर, दिनांक 26 जुलाई, 2017 द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 1.988 है0 के सापेक्ष दोगुनी भूमि 3.976 है0 का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किया गया, **भुगतान चालान एवं जिलाधिकारी, चमोली का आदेश पत्र दस्तावेज संलग्न है।**

2 शर्त संख्या 02 के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र संख्या 5—3 /2007—एफ0सी0 दिनांक 05/02/2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 16,79,860.00 मात्र वन विभाग के पक्ष में NEFT/RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA, APPLICATION NO. ROAD 96122015261 Date 19/08/2017 द्वारा जमा कर दी गयी, **भुगतान चालान की प्रति संलग्न है।**

3 शर्त संख्या 03 में शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि नियमानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी, **जिसका की प्रमाण पत्र संलग्न है।**

4 शर्त संख्या 04 के अनुपालन में सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम से ऑनलाइन बैंक में जामा किया गया है, **चालान की प्रति संलग्न है।**

5 शर्त संख्या 05 में सडक निर्माण के पश्चात दोनों किनारों पर इस खण्ड़ द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantaiton की जायेगी, **वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।**

6 शर्त संख्या 06 में प्रतिपूरक वृक्षारोपण में 40% बांज (Oak) के पौधों का रोपण का प्रमाण पत्र आपके द्वारा दिया जाना है।

7 शर्त संख्या 07 में इस खण्ड़ द्वारा संशोधित दस्तावेजों की मूल प्रति अभिलेख हेतु प्रेषित है।

8 शर्त संख्या 08 में संशोधित FRA Certificate को Online Part-1 में यथास्थान Upload कर दिया गया है।

पूर्व में इस खण्ड़ द्वारा हार्ड कापी भारत सरकार को प्रेषित कि गयी, जिसके अनुपालन में भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी। अतः उक्त बिन्दुओं पर अपने स्तर से नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को विधिवत स्वीकृति हेतु अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करने की कृपा करें, जिससे मार्ग में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

14/9/21
(इं0 सुनील कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
गैरसैंण।

all

पत्रांक 1255/1LA तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः— जिलाधिकारी महोदय, चमोली को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— अधीक्षण अभियन्ता महोदय, 7वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, गोपेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।

14/9/21
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
गैरसैंण।

all

(4)

144/IILA
31-7-017

— आदेश —

जनपद चमोली के अन्तर्गत पज्याणा–घण्डियाल मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.988 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 3.976 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव वन संरक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र सं0–08बी/यू0के0पी0/06/38/2016/एफ0सी0/2080 दिनांक 14.03.2017 की शर्त सं0–1 के अनुसार उप जिलाधिकारी गैरसैंण की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली के अन्तर्गत पज्याणा–घण्डियाल मोटर मार्ग के निमार्ण से प्रभावित होने वाली 1.988 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज में ग्राम **घण्डियाल खालसा** प0वृ0 पज्याणा तहसील गैरसैंण की सीमान्तर्गत चिन्हित ख0खा0सं0–30 के खसरा सं0–05 रकबा 2.016 है0 भूमि मध्ये 1.300 है0 भूमि, खसरा सं0–06 रकबा 2.250 है0 भूमि मध्ये 1.300 है0 भूमि एवं खसरा सं0–07 रकबा 2.024 है0 भूमि मध्ये 1.376 है0 भूमि अर्थात कुल 3.976 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं0–2173/XVIII(II)/2012–18 (120)/2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

आवश्यक
वन भूमि सहायक
31/7/17
अ0प्र0 आ0

(आशीष जोशी),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या: 1366/छब्बीस–25 (2016–2017) गोपेश्वर: दिनांक: 26 जुलाई, 2017

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, गैरसैंण।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. भू–लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 गैरसैंण।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैंण (चमोली)

26/7/17
जिलाधिकारी,
चमोली।

SBIN217231034338

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 18-05-2017

Agency Name.	PWD CD GAIRSAIN
Application No.	ROAD96122015261
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction Division PWD GairsainChamoli
Amount(in Rs)	2687108/-

Amount in Words .Twenty-Six Lakh Eighty-Seven Thousand One Hundred and Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	15089ROAD96122015261
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore 21/1, 3rd floor Jellita Towers Mission Road Bangalore -560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies ma
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

कार्यदायी सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैंण (चमोली)

-05477
P.F. No.-5994357
19 AUG 2017
Akhilesh Kumar Sangal
मेकर चेकर

कार्यदायी सत्यापित

(अधिशासी अभियन्ता)
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैंण (चमोली)

Government Of Uttarakhand

Office Of the district Collector : Chamoli

No......................

Dated 08-12-2016

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry Of Environment and forest (MOEF) , Government of India's letter No - 11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settiement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dewellers (Recognitation of Forest Rights, Act 2006 (FRa, for Short)on the forest land proposed to be diverted for non- forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects.It is certified that 2.092 Hect of forest land proposed to be diverted in favor of P W D Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Pajiyana - Ghandiyal Motor Road 6.00 Km Under P W D Gairsain (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Gairsain Tehsils .

It is further certified that :

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.092 hact of civil area proposed for diversion .A copy of recoreds of all consultations and meetings of the forest Right Committees ,Gram Sabha(s) sub-Division Level committee(s) and District level Committee are enclosed as annexure 1 to - annexure.	there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it.	there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers . there is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file .
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and pre- agricultural communities .	there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

08/12/16

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

अ (50)

नामित खसरा नवल शालनकाम,
प्रयोजनार्थ

ग्राम: डिम्मिपाल खालता सं०उपनिरीक्षेत्र पजाना तहसील- गैरसैण
जिला चमोली उत्तराखण्ड

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.010	30	उत्तराखण्ड सरकार														नान्जाएज	2.010		
	2.257	30	1 उत्तराखण्ड सरकार														नान्जाएज	2.257		
	2.016	30	उत्तराखण्ड सरकार														नान्जाएज	2.016		

सेवा में,

नामित खसरा असल से सही सहो तैयार किया।

21.11.12
एस० डी० सिमल्टी
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र पजाना
तहसील गैरसैण
जिला चमोली (गढ़वाल)

तहसीलदार
गैरसैण

उपजिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी
गैरसैंण जिला-चमोली

30/12

रा० उ० नि०
पजाना/पजाना

प्रभागीय वनाधिकारी

N.Z.A. खतौनी ग्राम घंडियाल खालसा रा.उ.नि. क्षेत्र पज्याणा तह. गैरसैंण (चमोली)

४०	५०८॥	2.016	[illegible]
६	११२॥		—
७	१०८॥=	2.024	—
८	१३४।-		—
१९	२७॥-		[illegible]
२४	३६॥।		—
२८	१४१॥		[illegible]
२९	१६६		—
३८	१४१	0.286	—
४६	७२॥		[illegible]
४७	२२६॥।-		[illegible]
४८	१८४-		—
४९	४६,	1.123	[illegible]
५७	७३।		—
१०४	[illegible]		—
१०९	१७३=		—
११०	१८३॥		—
१४८	५४॥=		—
१६१	१००॥।-	2.022	—
१७८	१३८॥=		—
१७९	११३।=		—
१८०	५००॥।-	2.622	—
१८१	२४॥।=	0.519	—
१९४	८१॥=		[illegible]
१९५	१४४		—
२०६	१७९		—
२०७	२४७।=		—
२१६	१२	0.241	[illegible]
२१९	७	0.140	—
२२६	३४	0.681	—
२२७	२३७॥।		—
२२९	१२४॥=		—
२८८	८२॥=	1.660	—
योग →	[illegible]	[illegible]	71.7[illegible]

[illegible] दिनांक [illegible] 2005 [illegible]

[illegible] खसरा नं० [illegible]

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय चमोली के कार्यालय के आदेश सं० 42(i)/ सव्वीस-24 (2016-2017) गोपेश्वर दिनांक 26 जुलाई 2017 एवं तत्क्रम में श्रीमान तहसीलदार महोदय गैरसैंण के आदेश के अनुपालन में वन संरक्षक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं० 8B/यूसीपी/06/36/2016/एफ.सी./2683 दिनांक [illegible] 2017 की शर्त सं० 1 के अनुसार उपजिलाधिकारी गैरसैंण की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली के अन्तर्गत पज्याणा घंडियाल मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली [illegible] हे० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज में ग्राम घंडियाल खालसा प० क्षे० पज्याणा तहसील गैरसैंण की सीमान्तर्गत चिन्हित ख० खाता सं० [illegible] के खसरा सं० 05 रकबा 2.016 हे० भूमि मध्ये 1.300 हे० भूमि खसरा सं० 06 रकबा 2.250 हे० भूमि मध्ये 1.300 हे० भूमि एवं खसरा सं० 07 रकबा 2.024 हे० भूमि मध्ये 1.316 हे० भूमि अर्थात कुल 3.916 हे० सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं० 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2012 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है, अमलदरामद किया गया।

[signature]
रा० उ० नि०
गैरसैंण/पज्याणा
[illegible]

छाया प्रति प्रमाणित
[signature] 26/09/2018
हितेश डिमरी
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र पज्याणा तहसील गैरसैंण
जिला– चमोली

छायाप्रति सत्यापित
[signature]
Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D Gairsain

71.[illegible]
56.[illegible]
15.366

नक्शा ट्रेस

अ (51)

ग्राम :- घण्डियाल खालसा प० प० पज्याणा तहसील - गैरसैंण जिला चमोली

पैमाना 32" = 1 मील

बाबत :- वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भूमि

खसरा नं०	रकबा हे०में०
5	2.010
6	2.257
7	2.016
	2.0 हेक्टेयर भूमि

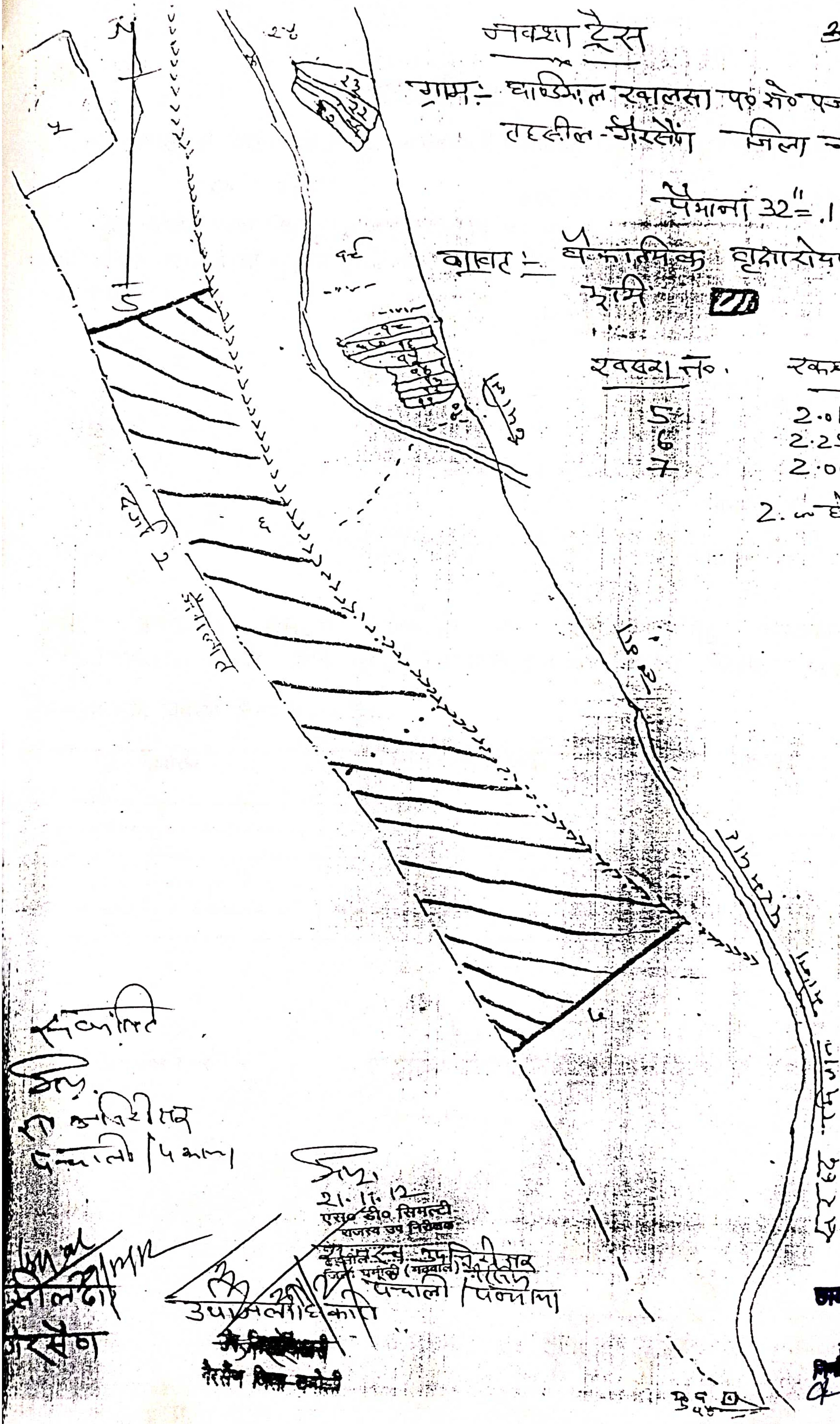

21.11.12

एस० डी० सिमल्टी

राजस्व उप निरीक्षक

पचाली

उपजिलाधिकारी

गैरसैंण जिला चमोली

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता

(चमोली)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में प्रस्तावित मोटर मार्ग (गैरसैण – पजियाणा – धाण्डियाल 6.00 किमी मोटर मार्ग) के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

कुंवर सिंह

नाम– कुंवर सिंह s/o गोपाल सिंह

ग्राम– मेहर गांव

क्रास सेक्शन 41/32....41/34 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु कास्तकार श्री कुंवर सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह ग्राम मेहर गांव पटवारी वृत्त पजियाणा जिला चमोली के नाम भूमि वितरण निम्न प्रकार है।–

क्र0सं0	खाता/खसरा नम्बर	भूमि है0
1	09 / 1439	0.034
2	9 / 1438	0.039
	9 / 1437	0.025

Assistant Engineer
Construction ... n
P.W.D. G......

Executive Engineer
Construction ...
P.W.D. G......

ह0– राजस्व उप निरीक्षक
... पजियाणा
...

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण (चमोली)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में प्रस्तावित मोटर मार्ग (गैरसैंण – पजियाणा – धाण्डियाल मोटर मार्ग 6.00 किमी मोटर मार्ग) के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

गजेन्द्र सिंह

भवदीय

नाम– गजेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह

ग्राम– धाण्डियाल

क्रास सेक्शन 0/35 – 0/38 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु कास्तकार श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामसिंह ग्राम धाण्डियाल पट्टवारी वृत्त पजियाणा जिला चमोली

के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है।–

क्र0सं0	खाता/खसरा नम्बर	भूमि है0
1 -	~~1373/1492~~ 40/1492	~~0.086~~ 0.033

JE

Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D. Gairsain
AE

Executive Engineer
Construction Division
P.W.D. Gairsain
EE

ह0– राजस्व उप निरीक्षक
पजियाणा

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैंण (चमोली)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में प्रस्तावित मोटर मार्ग (गैरसैंण –पजियाणा –घण्डियाल 6.00 किमी मोटर मार्ग) के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

मानसिंह

भवदीय

नाम– मान सिंह S/o झिमरा सि

ग्राम– घण्डियाल

क्रास सेक्शन 1/15 .... 1/19 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु कास्तकार श्री पुत्र श्री ग्राम पट्टवारी वृत्त जिला

के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है।–

क्र0सं0	खाता नम्बर	खाता/खसरा नम्बर	भूमि है0
1	1373	1312	0.044
		1313	0.025
		1314	0.013
			—
			—

योग 0.082 है0.

JE

Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D. Gairsain

Executive Engineer
Construction Division
P.W.D. Gairsain

ह0– राजस्व उप निरीक्षक

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैंण (चमोली)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में प्रस्तावित मोटर मार्ग ~~(नैल कैण्ड से चूलाखेत)~~ गैरसैण पज्याणा। [illegible] के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

दयाल सिंह
भवदीय

नाम– दयाल सिंह

ग्राम– परभधार

क्रास सेक्शन.................... पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु कास्तकार श्री पुत्र श्री मदन सिंह ग्राम परभधार पटवारी वृत्त पज्याणा जिला चमोली के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है।–

क्र0सं0	खाता/खसरा नम्बर	भूमि है0
1	7/522	0.135

Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D. Gairsain

Executive Engineer
Construction Division
P.W.D. Gairsain

ह0– राजस्व उप निरीक्षक

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण (चमोली)

(105)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में प्रस्तावित मोटर मार्ग गैरसैंण पजियाणा–घण्डियाल 6.00 किमी मोटर मार्ग) के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

नाम– त्रिलोकसिंह S/o मदनसिंह

ग्राम–

क्रास सेक्शन.................. पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकार श्री त्रिलोकसिंह पुत्र श्री मदनसिंह ग्राम परवाड़ी पट्टवारी बृत्त पज्याणा जिला चमोली के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है।–

क्र0सं0	खाता/खसरा नम्बर	भूमि है0
1	07/518	0.100 हे0
2	07/519	0.095 हे0

JE

Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D. Gairsain

Executive Engineer
Construction Division
P.W.D. Gairsain

ह0– राजस्व उप निरीक्षक
पज्याणा

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैंण (चमोली)

प्रारूप - 51

परियोजना का नाम– जनपद चमोली में गैरसेण –पजियाणा कालिंडाल मोटर मार्ग का विस्तार हेतु 1.988 हे. वन भूमि को लो.नि.वि. को हस्तान्तरण।

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।

अमीन लो.नि.वि. का.	कनिष्ठ अभियन्ता लो.नि.वि. कर्णप्रयाग	सहायक अभियन्ता लो.नि.वि. कर्णप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि. कर्णप्रयाग

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण (चमोली)

"Central Verge का प्रमाण – पत्र"

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात सड़क के दोनों किनारों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के देख – रेख में वृक्षारोपण किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
गैरसैंण

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
गैरसैंण

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
गैरसैंण

प्रारुप–30.4

दिनांक 17/01/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत रामड़ा मल्ला (महरगाँव)

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1–	मंगलसिंह S/o गदनसिंह	मंगल सिंह
2–	विजयसिंह S/o बागसिंह	विजयसिंह
3–	कमला देवी W/o रणजीतसिंह	कमला देवी
4–	विजयसिंह S/o चौहनसिंह	विजय सिंह
5–	सावित्री देवी W/o हरीसिंह	सावित्री देवी
6–	कुमा देवी W/o बलवन्तसिंह	कुमा देवी
7–	हीरा देवी W/o बादरीराम	हीरा देवी
8–	दीपा देवी W/o विरेन्द्रसिंह	दीपा देवी.
9–	दीवानसिंह S/o श्यामसिंह	दीवान सिंह
10–	केदारसिंह S/o आलमसिंह	केदार सिंह
11–	खुसालसिंह S/o अमरसिंह	खुसालसिंह
12–	बखतावरसिंह S/o राजेसिंह	बखतावरसिंह
13–	विजयसिंह S/o कलमसिंह	विजयसिंह
14–	शाकरसिंह S/o अमरसिंह	शाकरसिंह
15–	नारायणसिंह S/o केदारसिंह	नारायण सिंह
16–	देवसिंह S/o जमनसिंह	देवसिंह
17–	खीमानन्द S/o हरीदत्त	खीमानन्द

ह0/–

कार्यकारी सत्यापित

ग्राम विकास अधिकारी
गैरसैंण (चमोली)

प्रधान ग्राम पंचायत रामड़ा मल्ला
ह0 ....
दि0 ....
वि0 ख0 गैरसैंण (चमोली)

प्रपत्र ~~23.1~~

दिनांक 18/1/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत का नामः— घण्डियाल

क्र०सं०	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	राम प्रसाद छिनकुलाई / शालक राम	[signature]
2	विशम्भर दत्त / रवि दत्त	विशम्भर दत्त
3	राम चन्द / दरक मणि	राम चन्द
4	ब्रज मोहन / नारायण दत्त	[signature]
5	राजेसिंह पुत्र किशनसिंह	Raj Singh
6	कुंवरसिंह " बचनसिंह	कुंवरसिंह
7	मानसिंह " लुतसिंह	मानसिंह
8	पानसिंह " किशनसिंह	पानसिंह
9	बचनसिंह " जमनसिंह	Bachan Singh
10	राजेसिंह " जमनसिंह	राजेसिंह
11	चन्द्रसिंह " जमनसिंह	चन्द्रसिंह
12	सीताराम " मुकुन्दराम	Sita Ram
13	जीतसिंह " देवीसिंह	जीतसिंह
14	शंकरदत्त " हरकमणी	शंकर दत्त
15	चतुरसिंह " जमनसिंह	चतुरसिंह
16	दिवानसिंह " पदमसिंह	दिवानसिंह
17	चन्द्रसिंह " मदनसिंह	चन्द्रसिंह
18	मयार कुंवरसिंह " मदनसिंह	[signature]
19	रामसिंह " अमरसिंह	[signature]
20	बलवन्तसिंह " भवानसिंह	बलवन्तसिंह
21	बख्तावरसिंह " प्रतापसिंह	[signature]
22	राजसिंह " पदमसिंह	Raj Singh
23	त्रिलोकसिंह " मदनसिंह	[signature]
24	रामी देवी पत्नी शंकर दत्त	रामी देवी
25	घनश्याम सती पुत्र कृपानन्द सती	[signature]
26	भागा देवी पत्नी [illegible]सिंह	भागा देवी
27	दिवानी देवी " रामसिंह	[signature]
28	विजमती देवी " कुंवरसिंह	विजमती देवी
29	कमला देवी " पानसिंह	कमला देवी
30	शान्ती देवी " कुंवरसिंह	शान्ती देवी
31	हीरा देवी " राधेश्याम	हीरा देवी
32	अमरी देवी " जवाहरसिंह	अमरी देवी
33	आनन्दी देवी " [illegible]सिंह	आनन्दी
34	कुसुम सती पत्नि बलराम सती	कुसुम सती
35	राधा देवी " सदानन्द	राधा देवी
36	पितम्बर दत्त पुत्र गोपालदत्त	पितम्बर दत्त

लक्ष्मी देवी
सदस्य क्षेत्र पंचायत
वार्ड सं० 16 घण्डियाल मल्ला
वि०ख० गैरसैंण (चमोली)

[signature]
पंचायत सदस्य
मालसी वार्ड
... (चमोली)

AE

E.E.

प्रधान ग्राम पंचायत घण्डियाल मल्ला
ह० लक्ष्मी देवी
दि० 18-1-2015
वि०ख० गैरसैंण (चमोली)

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैंण (चमोली)

~~प्रपत्र 23~~

परियोजना का नाम:– [redacted]ण पजियाणा घण्डियाल मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

ग्राम पंचायत का नाम:–
तहसील गैरसैंण, जनपद–चमोली।
अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली उत्तराखण्ड में गैरसैंण– पजियाणा घण्डियाल मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि आरक्षित वन भूमि–1.313 है0 सिविल वन भूमि–0.67 है0 ,कुल 1.98 है0 का ग्राम्य विकास विभाग/संख्या के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत घण्डियाल द्वारा दिनांक 18-1-15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम घण्डियाल के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 1.98 है0 प्रोयक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0
ग्राम सचिव

प्रधान ग्राम पंचायत घण्डियाल
ह0 लक्ष्मी देवी
दि0 18-1-015
वि0ख0 गैरसैंण (चमोली)

नोट– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ सलग्न किया जाना है।

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैंण (चमोली)

प्रपत्र–~~23.1~~

दिनांक 18.01.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत का नामः– रामडा मल्ला

क्र०सं०	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री बख्तावरसिंह सिंगोधार	बख्तावरसिंह
2	श्री कल्याणसिंह महरगाँव	[signature]
3	श्री मंगलसिंह रामडा म० (वार्ड सदस्य)	मंगलसिंह
4	श्री विजयसिंह —"— —"—	विजयसिंह
5	श्री विजयसिंह सिंगोधार —"—	विजयसिंह
6	श्री खुशालसिंह महरगाँव	खुशालसिंह
7	श्री उम्मेदसिंह —"—	[signature]
8	श्रीमती दीपादेवी वार्ड सदस्य	दीपा देवी
9	श्रीमती सावित्रीदेवी वार्ड सदस्य	सावित्री देवी
10	श्री खीमानन्द काला (स० क्षे० पं०) रामडा मल्ला	
11	श्रीमती राधादेवी पूर्व प्रधान रामडा मल्ला	राधा देवी
12	श्री देवसिंह s/o मंगलसिंह महरगाँव	[signature]
13	श्री कुंवरसिंह s/o गोपालसिंह ग्राम फुरकी	कुंवरसिंह
14	श्री नन्दनसिंह s/o केदारसिंह महरगाँव	[signature]
15	श्री नारायणसिंह s/o हीरासिंह —"—	नारायणसिंह
16	श्री विजयसिंह s/o बालमसिंह —"—	[signature]
17	श्री बलवन्तसिंह s/o श्री [illegible]सिंह —"—	बलवन्तसिंह
18	" बलवन्तसिंह s/o श्री शंकरसिंह	[signature]
19	" विजयसिंह सिविल क्षेत्र पंचायत सरपंच	[signature]
20	" धर्मसिंह s/o श्री कुँवरसिंह	धर्मसिंह
21	" अवतारसिंह s/o श्री आलमसिंह	[signature]
22	" जितारसिंह s/o श्री चन्द्रसिंह	[signature]
23	" रतनसिंह s/o श्री [illegible]सिंह	रतनसिंह
24	श्रीमती हीरादेवी वार्ड सदस्य कारकडाली	हीरा देवी
25	श्रीमती मंजुली देवी आ०का०आ०का० रामडा	मंजुली देवी
26	श्री सोबनसिंह वार्ड सदस्य सिलंगोत	सोबनसिंह
27	श्रीमती कमलादेवी स० म० म० द०	कमलादेवी
28	श्रीमती धर्मादेवी —"—	धर्मादेवी
29	श्रीमती कलावती देवी —"—	[signature]
30	श्रीमती कमलादेवी वार्ड सदस्य	कमला देवी
31	श्री [illegible]सिंह	[signature]
32	श्री मनवरसिंह	[signature]
33	श्री [illegible]सिंह	[signature]
34	श्री चैतराम शर्मा	चैतराम

[signature]

क्षेत्रपति सत्यापित

[signature]

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैंण (चमोली)

प्रधान ग्राम पंचायत रामडा मल्ला
ह० [signature]
नाम ....
वि० ख० गैरसैंण (चमोली)

(69)

प्रारुप–30.2

परियोजना का नाम– जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में पजियाणा घण्डियाल मोटर मार्ग का विस्तार। लम्बाई 6.00 किमी0।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, गैरसैंण
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, गैरसैंण

उपखण्ड गैरसैंण परिक्षेत्र के अन्तर्गत न्याय पंचायत घण्डियाल, रामड़ा कोठेरी (——हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.675हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 1.313हे0 वन मंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.98 हे0 वन भूमि) का लो0नि0वि0 गैरसैंण प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील गैरसैंण) की दिनांक 15-11-15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ————, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

श्री किशन सिंह नेगी —उपजिलाधिकारी ————————अध्यक्ष
श्री सुरेन्द्र लाल —उप प्रभागीय वनाधिकारी————————सदस्य
श्री सुरेन्द्र लाल —सहायक समाज कल्याण अधिकारी गैरसैंण सदस्य / सचिव
श्री ———— बी0डी0सी0 क्षेत्र —————— जानकी देवी सदस्य सदस्य क्षेत्र पंचायत वार्ड सं0 16 घण्डियाल मल्ला

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैंण में पजियाणा घण्डियाल मोटर मार्ग का विस्तार परियोजना हेतु 1.98 हे0 वन भूमि ———— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार द्वारा दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड गैरसैंण परिक्षेत्र के अन्तर्गत पजियाणा-घण्डियाल मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 1.98 हे0 वन भूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– गैरसैंण
जनपद चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली .... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– गैरसैंण
जनपद चमोली

[redacted]

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Bageshwar (U.K.)

eeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other itional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Chamoli** district, constituted under FRA. was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss VINOD KUMAR SUMAN District Magistrate,. MOLI.... on dated 08-12-2016 at time 12.00 Hrs at CHAMOLI in which application claiming s [redacted] **Gairsain** area measuring **1.98** hect for the construction of **Construction Of Pajiyana ndiyal Motor Road** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and nmended by the sub divition level committee of **Gairsain** sub division were discussed to ider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were d to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion nd for the said purpose.

e; Go.Chamoli

d:..08/12/2016

08.12.16

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe

[redacted]